

रीडर
निबंधक न्यायालय

23/10/45
श्री मंलगा

19/2/25

श्री राजेश कुमार दांडिया, सदस्य
डॉ. विन प्रसाद सिंह, न्याय

27/5/25

वकील अपीलांत श्री सी. पी. पाराशर
उप० हैं। वकील रेव्हीर श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
उप० हैं। जिन्होंने मिलकर कहा कि उक्त अपील
की आगे नहीं चलाने से जरिपे पिड्डी से बचाने
करमाये। पठावणी का अवलोकन किता। न्याय
में उक्त अपील की आगे नहीं चलाने से इसी
स्तर पर जरिपे पिड्डी से रखाजि की जाती
है। पठावणी फेलर शुमार दीफर नम्बर से
कम है।

Noted
for
Withdrawal
Appeal
by
C.P. Parashar
Advocate
27/5/25

आदेश सुनाया गया।

सदस्य
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

सदस्य
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर